आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अलीगढ,जनपद :अलीगढ,तहसील :खैर
वाद संख्या :-4222/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202118020104222
अनिल कुमार बनाम उ0प्र0सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत वाद अनिल कुमार पुत्र करन सिह निवासी टप्पल परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ द्वारा स्थित ग्राम टप्पल परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ के द्वारा नियत प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिनांक 19–06–2021 के आधार पर प्रारम्भ हुआ। उपरोक्त प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया गया है कि ग्राम टप्पल परगना खैर तहसील खैर जिला अलीगढ के खाता सं0 91 गाटा सं0 4623मि0 रकवा 0.772 है0, लगानी 60ख भूमि पर प्रार्थी संकमणीय भूमिधर मालिक काबिज दखील है। उक्त भूमि पर रास्ते नाली व चार दीवारी बनी है व प्लाटिंग हो रही है। उक्त भूमि को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया जायें।

उपरोक्त के कम मे अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत टप्पल अलीगढ द्वारा प्रस्तुत पत्र सं0 मीमो दिनांक 15–06–2021 के द्वारा ग्राम टप्पल परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ के खाता सं0 91 गाटा सं0 4623मि0 रकवा 0.772 है0, भूमि नगर पचायत टप्पल के नोटिफाईड क्षेत्रान्तर्गत आती है का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो पत्रावलित है।

उक्त भूमि की जॉच तहसीलदार खैर से करायी गई। उनकी जॉच आख्या दिनांक 21–06–2021 मे उल्लेख किया गया है कि ग्राम टप्पल परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ के खाता सं0 91 गाटा सं0 4623मि0 रकवा 0.772 है0, लगानी 12.40 पैसा सं0भू0 दर्ज कागजात है तथा उक्त आराजी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 1 करोड 21 लाख रूपये प्रति है0की दर से उक्त भूमि का मूल्याकन 1,05,52000/एक करोड पॉच लाख बावन हजार रू0 होता है। इसके एक प्रतिशत की दर से देय राजस्व शुल्क 1,05,600/एक लाख पॉच हजार छः सौ रूपये जमा करा कर मौजा– ग्राम टप्पल परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ के खाता सं0 91 गाटा स0 4623मि0 रकवा 0.772 है0, लगानी 12.40 पैसा भूमि को धारा 80(2) के अर्न्तगत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। उक्त भूमि खाता स0 91 गाटा स0 4623मि0 रकवा 0.772 है0, नगर पंचायत टप्पल के अर्न्तगत आती है जिसको तहसीलदार खैर द्वारा दिनाक 21–06–2021 को अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल अनिल कुमार शर्मा द्वारा ग्राम टप्पल को नगर पचायत का दर्जा दे दिया है ग्राम टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ के गाटा सं0 4623मि0 नगर पंचायत टप्पल के अर्न्तगत आता है जो पट्टे की भूमि नही है।

उपरोक्त के अनुपालन मे अनिल कुमार पुत्र करन सिह निवासी टप्पल परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ द्वारा उ0प्र0 रा0सं0 2006 नियम 85(2) मे दिये गये प्राविधान के अधीन उक्त भूमि को अकृषिक घोषणा हेतु निर्धारित शुल्क भूमि के मूल्याकन का 01 प्रतिशत राजकीय मद के लेखाशीर्षक मे चालान स0 एफ0आई0 00008 दिनाक 18–06–2021 को कुल0मु0 1,05,600/–रू0 भारतीय स्टेट बैंक शाखा खैर के माध्यम से शासकीय कोष मे जमा किया गया। जिसका चालान पत्रावली के साथ संलग्न है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा मा0महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0लखनऊ के निर्देशो के अनुपालन मे उक्त भूमि के मूल्यांकन का 01 प्रतिशत न्याय शुल्क के रूप मे मु0 1,05,600/रू0 का स्टाम्प जमा किया

01/7/21

Scanned with CamScanner